

खाद्य एवं सम्भरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उपभोक्ता कार्ड हेतु आवेदन-प्रपत्र)

आवेदक का फोटो

- पुराना राशन कार्ड न.(यदि कोई है) ----- 2. मोबाईल न. -----
- आवेदक का पूरा नाम ----- 4. फार्म न. -----  
(परिवार की वरिष्ठतम महिला)
- राष्ट्रीयता ----- 6. व्यवसाय -----
- पूरा पता -----
- परिवार की कुल वार्षिक आय (शब्दों में) -----
- पात्रता श्रेणी ----- (कृपया फार्म के पीछे देखें)
- आवेदक एवं सदस्यों का पूर्ण विवरण (प्रथम कालम में आवेदक अपना स्वयं का विवरण दें),अधिक सदस्यों के लिए अतिरिक्त शीट का प्रयोग करें।

क्र. सं.	नाम	लिंग म./पु.	जन्म तिथि DD/MM/YYYY (दि/म/वर्ष)	माता का नाम	पिता/पति का नाम	मुखिया से संबंध	आधार न. (यदि आधार न. नहीं मिला है तो ई.आई.डी. नम्बर भरें)
1						स्वयं	
2							
3							
4							
5							
6							
7							

11. संलग्न दस्तावेज:- (क) प्रत्येक सदस्य के आधार संख्या/ ई.आई.डी. की प्रति (ख) स्थाई पते का प्रमाण(यदि आधार कार्ड के पते से भिन्न है)  
(ग) आय प्रमाण पत्र(जहाँ लागू है) (घ) आवेदन में लिखे पते का बिजली का बिल

घोषणा:- मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना सही है:-

- मैं भारतीय नागरिक हूँ।
- मैं और उपरोक्त लिखित सदस्य स्थायी रूप से दिल्ली में रहते हैं एवं इनके नाम दिल्ली या अन्य किसी राज्य के उपभोक्ता कार्ड में नहीं है।
- मैं इस कार्ड का प्रयोग विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करूंगी।
- मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास चार पहिए या इससे अधिक पहिए वाला वाहन नहीं है।
- मेरे घर पर 02 किलोवाट से अधिक का बिजली का कनेक्शन नहीं है।
- मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है।
- मैं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम कोई जमीन या घर एम.सी.डी. के A से E श्रेणी की कॉलोनी में नहीं है।
- मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य केंद्र/राज्य/स्थानीय निकाय/ केंद्र या राज्य की स्वायत्त संस्थाओं इत्यादि में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है।
- मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य किसी भी सरकारी स्कीम में राशन/खाद्य सब्सिडी प्राप्त नहीं कर रहा है।
- मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सूचना झूठी या गलत पाए जाने पर मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन सजा की जिम्मेवार होऊंगी व किसी भी गलत सूचना के लिए जाने पर सजा या जुर्माना तथा उपभोक्ता कार्ड के निरस्त किए जाने की स्वयं जिम्मेवार होऊंगी।
- मेरे या मेरे परिवार के उपरोक्त सदस्यों की यू.आई.डी.ए.आई में संकलित सूचना प्रयोग में ली जा सकती है।

हस्ताक्षर/ निशानी अंगूठा (आवेदक/मुखिया)

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उपभोक्ता कार्ड हेतु आवेदन -पावती)

फार्म न. ....

पावती क्रमांक .....

मंडल कार्यालय संख्या.....

श्रीमति .....

से दिनांक .....

को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के अन्तर्गत

उपभोक्ता कार्ड हेतु आवेदन प्राप्त हुआ।

मुहर(मंडल कार्यालय).....

हस्ताक्षर(काउन्टर सहायक)

